प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 1217 वर्ष 2022

महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

... अपीलार्थी (गण)

बनाम

उ.प्र राज्य एवं अन्य

... प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल रिट याचिका संख्या 4529 वर्ष 2018, जिसमें उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

खारिज कर दिया है और कहा है कि फाइनेंसर परिवहन वाहन का कब्जा धारी होने के कारण उ.प्र. मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1997 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित 16.12.2019 दिनांकित आक्षेपित निर्णय और आदेश से असंतुष्ट और क्षुब्ध मूल रिट याचिकाकर्ता, फाइनेंसर ने यह अपील की है। उक्त फाइनेंसर ने परिवहन वाहन की खरीद के लिए ऋण दिया था और ऋण का भुगतान न हो पाने के कारण प्रश्नगत वाहन पर उसका कब्जा है।

2. यथा उपरोक्त, कि अपीलकर्ता–महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एक फाइनेंसर है, जिसने परिवहन वाहन की खरीद के लिए ऋण दिया था। ऋण का भुगतान न होने की स्थिति में, इसने प्रश्नगत वाहन को कब्जे में ले लिया। विवाद वाहन के ऐसे कब्जाधारी फाइनेंसर द्वारा यूपी मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1997 (एतश्मिनपश्चात्में "अधिनियम, 1997" के रूप में संदर्भित) के तहत कर का भुगतान करने के दायित्व का है। उच्च न्यायालय के समक्ष, निम्नलिखित प्रश्न पूर्ण पीठ को संदर्भित किया गया थाः

> "1. क्या अधिनियम, 1997 की धारा 2 (जी), 2 (एच), 4, 9, 10, 12, 13, 14 और 20 सपठित अधिनियम, 1988 की धारा 39, 50 और 51 एवं उक्त अधिनियमों एवं नियम 1998 और 1989 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और नियमों के तहत मोटर वाहन/परिवहन वाहन का कोई फाइनेंसर, जिसके संबंध में एक किराया–खरीद, पट्टे या वचनबद्ध समझौता किया गया

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

है, उक्त समझौतों के तहत उक्त वाहन को कब्जे में लेने की तिथि से कर देने के लिए उत्तरदायी है, भले ही, इसका नाम पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज किया गया हो या नहीं। यदि नहीं, तो इस संबंध में कौन उत्तरदायी है?

2. 1 आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी–फाइनेंसर के विरुद्ध अभिनिर्धारित किया है और धारित किया है कि अपीलार्थी का फाइनेंसर के रूप में प्रश्नगत वाहन पर कब्जा होने के कारण अधिनियम, 1997 के तहत कर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है।

2. 2 आक्षेपित निर्णय, कि अपीलार्थी का फाइनेंसर के रूप में प्रश्नगत वाहन पर कब्जा होने के कारण अधिनियम, 1997 के तहत कर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, अपीलकर्ता–फाइनेंसर ने वर्तमान अपील की है।

3. विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत हुए और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद उ.प्र. राज्य की ओर से प्रस्तुत हुईं।

4. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में अधिनियम, 1997 के प्रासंगिक प्रावधानों और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एतश्मिनपश्चात् "अधिनियम, 1988" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों को उद्धृत करते हुए कहा कि परिवहन वाहन का कब्जाधारी फाइनेंसर होने के नाते,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जिसने ऋण का भुगतान न हो पाने की स्थिति में परिवहन वाहन को कब्जे में ले लिया है, जब तक कि उक्त परिवहन वाहन को उपयोग में नहीं लाया जाता है और/या वास्तव में उपयोग नहीं किया जा रहा है, तब तक अपीलकर्ता–फाइनेंसर पर अधिनियम, 1997 के तहत देय कर का भुगतान करने के लिए कोई दायित्व नहीं होगा।

4. 1 अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा है कि अपीलकर्ता ही वह फाइनेंसर है, जिसने विचाराधीन परिवहन वाहन की खरीद के लिए ऋण दिया था और ऋण के भुगतान न हो पाने की स्थिति में, इसने प्रश्नगत वाहन को अपने कब्जे में ले लिया था। यह कि पंजीकृत मालिक ने अपीलकर्ता–फाइनेंसर द्वारा इस तरह के कब्जे की तारीख से पहले सभी करों का भुगतान किया था।

4.2 यह कहा गया है कि अधिनियम, 1997 के तहत देय कर परिवहन वाहन के 'उपयोग' पर हैं। इसलिए यह कहा गया है कि जब तक फाइनेंसर के पास कब्जे में रखे परिवहन वाहन का उपयोग नहीं किया जाता, तब तक कर का भुगतान करने के लिए फाइनेंसर का कोई दायित्व नहीं होगा।

4. 3 अधिनियम की धारा 4 (2–ए), धारा 6 और धारा 9 का अवलंब लेते हुए अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा जोर देकर कहा गया है कि अधिनियम की योजना विशेष रूप से परिवहन वाहन के संचालन पर जोर देती है। यह कहा गया कि परिवहन वाहन के संचालन/उपयोग पर ऐसे सार्वजनिक परिवहन वाहन पर प्रारंभिक और अतिरिक्त कर लगाया जाता है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

यह तर्क दिया गया है कि इसी कारण से वाहन के ऑपरेटर और मालिक दोनो को पंजीकृत मालिक के अलावा कर के भुगतान की परिभाषा में शामिल किया गया है। इसलिए यह आग्रह किया गया है कि कर लगाने की पूर्व शर्त के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कारक वाहन का संचालन/परिचालन है। यह कहा गया कि धारा 12 के उद्देश्य के लिए पूर्वोक्त स्थिति बिल्कुल आवश्यक हो जाती है, जो यह उपबंध करती है कि किसी विशेष अवधि के लिए यदि वाहन चलाने के लिए कर का अग्रिम भुगतान किया जाता है और वास्तव में उस अवधि में वाहन नहीं चलाया जाता है तो धनवापसी उचित मामले में मांगी और दी जा सकती है। यह कहा गया कि धनवापसी के उद्देश्य से भी, फाइनेंसर के रूप में, चूंकि उसके पास टोकन या परमिट या पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होगा, वह धनवापसी के लिए प्रार्थना करने की स्थिति में भी नहीं होगा।

4. 4 अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा जोर देकर कहा गया है कि पंजीकरण का मूल प्रमाण पत्र और परमिट पंजीकृत मालिक के पास होगा, अपीलकर्ता–फाइनेंसर बिना परमिट और/या पंजीकरण प्रमाण पत्र के परिवहन वाहन का उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए, अधिनियम, 1997 के तहत लगाए गए कर का भुगतान करने के लिए फाइनेंसर पर कोई दायित्व नहीं हो सकता है।

4. 5 उपरोक्त कथन करते हुए और इस न्यायालय द्वारा **महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम सुंदरम फाइनेंस एवं अन्य, (1999) 9 एससीसी 1** के मामले में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का अवलंब लेते हुए, वर्तमान को

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अनुमति देने और यह धारित करने की प्रार्थना की गयी है कि अपीलकर्ता परिवहन वाहन का कब्जाधारी फाइनेंसर होने के कारण अधिनियम, 1997 के तहत किसी भी कर का भुगतान करने के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं है जब तक कि इसे उपयोग नहीं किया जाता है।

5. राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद ने न्यायालय का ध्यान अधिनियम, 1997 की पूरी योजना की ओर आकृष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक "मालिक" और "ऑपरेटर" धारा 4 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

5.1 यह कहा गया है कि फाइनेंसर, किराया खरीद या लीज या वचनबद्ध समझौते के तहत परिवहन वाहन को कब्जे में लेने के बाद अधिनियम, 1997 की धारा 2 (एच) के तहत 'मालिक' बन जाता है। कब्जाधारी फाइनेंसर के वाहन का "स्वामी" बन जाने के बाद, वह अधिनियम, 1997 की धारा 4 के तहत प्रभार्य कर का संदाय करने के लिए दायी है। यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम, 1997 की धारा 2 (एच) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 (30) के अनुसार, कब्जाधारी फाइनेंसर को "मालिक" कहा जा सकता है।

5. 2 आगे यह कहा गया है कि "परिवहन वाहन से भिन्न मोटर वाहन" के मामले में, वाहन के पंजीकरण के समय एकमुश्त कर का संदाय किया

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जाना अपेक्षित होता है जिसके बिना वाहन का पंजीकरण नहीं किया जा सकता और न ही इसका उपयोग किया जा सकता है। यह कहा गया है कि ऐसे मामले में कर, अतिरिक्त कर और जुर्माना के बकाया का मामला उत्पन्न नहीं होगा। यह कि 'परिवहन वाहन' के मामले में, चूंकि एक बार कर का कोई प्रावधान नहीं है, ऑपरेटरों/मालिकों को कानून के अनुसार समय–समय पर कर का भुगतान करना आवश्यक होता है। यह कहा गया है कि धारा 9 (3) सपठित धारा 20 (3) के अनुसार "मालिक" और "ऑपरेटर" दोनों संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी होंगे। यह आग्रह किया गया है कि जहां तक फाइनेंसर के कब्जे से पहले बकाया राशि का प्रश्न है, भुगतान करने की मुख्य देयता मालिक या ऑपरेटर पर है, और यदि किसी भी कारण से ऐसे व्यक्ति से वसूली संभव नहीं है, तो वह फाइनेंसर से वसूली योग्य है, जैसा कि धारा 20 (2) के अनुसार, मोटर वाहन पर पहले बकाया राशि वसूल की जाती है। इसलिए यह कहा गया कि पहली राशि को देने का उत्तरदायित्व वाहन पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति का होगा। लेकिन, चूंकि मुख्य रूप से देयता पंजीकृत मालिक पर है, फाइनेंसर, कर के बकाया को जमा करने के बाद, कानून के अनुसार उसकी वसूली का हकदार होगा।

5. 3 प्रतिवादी–उ.प्र. राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद द्वारा यह कहा गया है कि अधिनियम, 1997 की धारा 4 सबसे महत्वपूर्ण धारा है। यह कि धारा 4 (2–ए) के अनुसार, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, किसी भी सार्वजनिक सेवा वाहन को उप–

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

धारा (1–ए) और उप–धारा (2) में निर्दिष्ट लोगों के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश में तब तक सार्वजनिक स्थान पर उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर मासिक कर का भुगतान उसके संबंध में नहीं किया जाता है। परंतुक के अनुसार, मासिक कर के बजाय, एक त्रैमासिक या वार्षिक कर ऐसी दर पर देय हो सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। यह कहा गया है कि धारा 9 (1) (iv) (ए) के अनुसार धारा 4 की उप–धारा (2–ए) के तहत देय कर अधिनियम, 1988 के तहत वाहन के पंजीकरण के समय एक कैलेंडर महीने के लिए अग्रिम रूप से देय होगा और उसके बाद अगले कैलेंडर महीने के पंद्रहवें दिन या उससे पहले। यह कहा गया है कि इस तरह के कर का अग्रिम भुगतान किया जाना आवश्यक है और इसलिए कर का भुगतान करने की देयता पहले है और उसके बाद ही वाहन का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए, अधिनियम, 1997 के तहत परिभाषित परिवहन वाहन का 'मालिक' होने के नाते कब्जाधारी फाइनेंसर सर्वप्रथम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यह कि यदि , कर के भुगतान के बाद, वाहन का उपयोग नहीं किया जाता है, तो, प्रक्रिया का पालन कर और धारा 12 के अनुपालन के अधीन, ऐसा फाइनेंसर/मालिक भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा कर सकता है। गैर–उपयोग पर धनवापसी का सवाल केवल तभी उठेगा जब कर का भुगतान पहले किया जा चुका हो। इसलिए यह कहा गया है कि कर का भुगतान करने का दायित्व पहले उत्पन्न होगा और उसके बाद ही अधिनियम, 1997 की धारा 12 के तहत धनवापसी का दावा किया जा सकता है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

5. 4 जहां तक अपीलार्थी–फाइनेंसर की ओर से दिये गये इस तर्क –कि, चूंकि अपीलार्थी–फाइनेंसर पंजीकृत मालिक नहीं है और/या पंजीकरण अपीलकर्ता–फाइनेंसर के पक्ष में हस्तांतरित नहीं किया गया है और वाहन के पंजीकरण का मूल परमिट और प्रमाण पत्र, जो पंजीकृत मालिक के नाम पर होगा, पंजीकृत मालिक के पास होगा और इसलिए अपीलकर्ता–फाइनेंसर धनवापसी का दावा भी नहीं कर सकता है–का सवाल है तो यह कहा गया है कि कब्जा लेते समय सभी दस्तावेज जब्त करना फाइनेंसर की जिम्मेदारी है। यहां तक कि फाइनेंसर अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए भी प्रार्थना कर सकता है। यह कहा गया है कि उपरोक्त आधार पर, धारा 4 (2–ए) सपठित धारा 9 (1) (iv) (ए) के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने का एक 'मालिक' के रूप में कब्जाधारी फाइनेंसर का दायित्व समाप्त नहीं होगा।

5. 5 राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा **जागीर सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (1976) 2 एससीसी 942 : 1976 (2) SCR 80** के मामले में दिये गये निर्णय और **अब्दुल समद अब्दुल हामिद शेख बनाम गुजरात राज्य, विशेष सिविल आवेदन सं. 5788 वर्ष 2012** के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के 25.01.2017 दिनांकित निर्णय का अवलंब इस तर्क के समर्थन में लिया है कि वाहन के कब्जाधारी फाइनेंसर को "मालिक" कहा जा सकता है और अग्रिम में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और ऐसे फाइनेंसर के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय धनवापसी का

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दावा करना है यदि वाहन का उपयोग नहीं किया जाता, अन्यथा वह बकाया कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

5. 6 उपरोक्त तर्क देते हुए और उपरोक्त निर्णयों का अवलंब लेते हुए वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना की गयी है।

6. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना।

7. इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या, किसी मोटर वाहन/परिवहन वाहन का एक फाइनेंसर, जिसके संबंध में एक किराया–खरीद, लीज या वचनबद्ध समझौता किया गया है, उक्त समझौतों के तहत उक्त वाहन को कब्जे में लेने की तारीख से कर के लिए उत्तरदायी है।

8. वर्तमान विषय को निर्णीत करते समय, उ.प्र. मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1997 के प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित करने और विचार करने की आवश्यकता है। वे हैं धारा 2 (एच), 4,9,10,12 और 20 हैं, जो निम्नानुसार हैंः

"2 (ज) मोटर यान के संबंध में" स्वामी "से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम ऐसे यान के संबंध में जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दर्ज किया गया है और जहां ऐसा यान उस करार के अधीन यान के कब्जे वाले व्यक्ति को किराया क्रय या पट्टे या हाइपोथीकेशन के करार का विषय है और

" 2(एच) किसी मोटर वाहन के संबंध में "मालिक" शब्द से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम ऐसे वाहन के संबंध में निर्गत

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पंजीकरण प्रमाणपत्र में दिया गया है और जहाँ ऐसा वाहन किसी किराये, खरीद, लीज या वचनबद्ध समझौते के अधीन है तो वह व्यक्ति समझौते के अनुसार जिसके कब्जे में वाहन होगा और यदि ऐसा व्यक्ति अल्पवयस्क है तो उसका संरक्षक।

4. कर का अधिरोपण–(1) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में अन्यथा विहित को छोड़कर, परिवहन वाहन के अलावा किसी भी मोटर वाहन का उपयोग उत्तर प्रदेश के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे मोटर वाहन के संबंध में लागू दर पर एक बार कर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए का भुगतान किया जा चुका है, जिसके संबंध:

बशर्ते कि एक पुराने मोटर वाहन के संबंध में एक बार के कर के बजाय, ऐसे मोटर वाहन पर लागू वार्षिक कर का भुगतान किया जा सकता है जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(1–क) इस अधिनियम में या इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्यथा उपबंधित के अलावा, कोई तीन पहिया मोटर कैब और माल वाहक जिसका सकल वाहन वजन 3000 किलोग्राम से अधिक न हो, का उपयोग उत्तर प्रदेश के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मोटर वाहन के संबंध में ऐसी दर पर वार्षिक कर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए का भुगतान किया जा चुका है जिसके संबंध में:

बशर्ते कि इस उप–धारा के तहत एक मोटर वाहन के संबंध में वार्षिक कर के बदले में राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट एक बार कर की ऐसी राशि देय हो सकती है।

बशर्ते कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2014 के शुरू होने की तारीख से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत पंजीकरण की वैधता की समाप्ति के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के अलावा किसी भी मोटर वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट मोटर वाहनों पर लागू दर पर एक ग्रीन टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है।

(2) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय उपधारा (1–क) में निर्दिष्ट किसी माल गाड़ी, निर्माण उपकरण वाहन, विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन, मोटर कैब (तीन पहिया मोटर कैब से भिन्न), मैक्सी कैब और राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्व या नियंत्रण वाले लोक सेवा वाहन का उपयोग

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उत्तर प्रदेश के किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे मोटर यान पर लागू दर पर त्रैमासिक कर, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उसके संबंध में संदत्त नहीं किया जाता है:

बशर्ते कि त्रैमासिक कर के बजाय इस उप–धारा के तहत मोटर वाहन के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जा सकने वाली दर पर वार्षिक कर देय हो सकता है।

(2–क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उपधारा (1–क) और उपधारा (2) में संदर्भित से भिन्न किसी लोक सेवा वाहन का उत्तर प्रदेश के किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी दर पर मासिक कर का संदाय नहीं किया जाता है:

बशर्ते कि मासिक कर के बजाय इस उप–धारा के तहत मोटर वाहन के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकने वाली दर पर तिमाही या वार्षिक कर देय हो सकता है।

(2–ख) जहां सड़क द्वारा ले जाए जाने वाले माल के संबंध में कराधान से संबंधित कोई पारस्परिक समझौता उत्तर प्रदेश सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के बीच किया जाता

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

है, वहां उपधारा (1–क) या उपधारा (2) के अधीन कर का उद्ग्रहण, उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार होगाः

बशर्ते कि लगाया गया कर उस कर से अधिक नहीं होगा जो अन्यथा अधिनियम के तहत लगाया जाएगा।

(3) जहां परिवहन वाहन के अलावा कोई भी मोटर वाहन परिवहन वाहन के रूप में चलता पाया जाता है, ऐसा कर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, देय होगा।

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची के भाग 'बी', भाग 'सी' या भाग 'डी' में निर्दिष्ट कर की दरों में पचास प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नही कर सकती है।

9. कर और जुर्माने का भुगतान–(1) धारा 11 के प्रावधान के अधीन–

(i) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहन के पंजीकरण के समय धारा 4 की उप–धारा (1) के तहत देय कर का भुगतान किया जाएगाः

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बशर्ते कि एक पुराने मोटर वाहन के संबंध में, कर प्रत्येक वर्ष जनवरी के पंद्रहवें दिन या उससे पहले अग्रिम में देय होगा

(ii) धारा 4 की उप–धारा (1–ए) के तहत देय कर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहन के पंजीकरण के समय एक वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा और उसके बाद अगले वर्ष के पहले कैलेंडर महीने के पंद्रहवें दिन या उससे पहले होगा।

(iii) धारा 4 की उप–धारा (2) के तहत देय कर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहन के पंजीकरण के समय एक तिमाही के लिए अग्रिम में देय होगा और उसके बाद अगले तिमाही के पहले कैलेंडर महीने के पंद्रहवें दिन या उससे पहले।

(iv) (क) धारा 4 की उपधारा (2–क) के अधीन संदेय कर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहन के पंजीकरण के समय एक कैलेंडर महीने के लिए अग्रिम संदेय होगा और उसके पश्चात प्रत्येक कैलेंडर महीने के पन्द्रहवें दिन या उससे पहले।

(ख) विशेष अवसरों जैसे कि मेले और धार्मिक समारोह या विवाह, पर्यटक हेतु यात्रियों के आने जाने के लिए जारी किए गए अस्थायी परमिट के तहत आने वाले वाहनों के संबंध में धारा 4क के तहत देय विशेष कर, ऐसे अस्थायी परमिट के जारी होने के समय भुगतान किया जाएगा।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(2) जब कोई व्यक्ति अपने नाम से पंजीकृत मोटर वाहन को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है, तो अंतरण की देयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना या इस संबंध में, अंतरिती अंतरण कर, अतिरिक्त कर और शास्ति, यदि कोई हो, के बकाया का संदाय करने के लिए दायी होगा, वैसे ही जैसे उस अवधि के दौरान वह उक्त मोटर वाहन का स्वामी रहा हो जिसके लिए ऐसा कर, अतिरिक्त कर या शास्ति देय है।

(3) जहां मोटर वाहन के संबंध में कर या अतिरिक्त कर का संदाय उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां ऐसी दर पर शास्ति, जो विहित की जाए, जो देय रकम से अधिक न हो, संदेय होगी, जिसके लिए स्वामी और प्रचालक यदि कोई, संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से दायी होंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन कर, अतिरिक्त कर या शास्ति की रकम की संगणना करते समय, वह रकम निकटतम रुपए तक, अर्थात् पचास पैसे या अधिक के एक अंश को अगले उच्चतर रुपए तक मान लिया जाएगा और पचास पैसे से कम के किसी अंश को नजरअंदाज किया जाएगा।

10. उत्तर प्रदेश में कर के भुगतान के बिना उपयोग न किए जाने वाले वाहन–

(1) धारा 9 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी परिवहन वाहन उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा –

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(क) उत्तर प्रदेश के बाहर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन मंजूर अस्थायी परमिट के अधीन जब तक कि उसके उपयोग या उत्तर प्रदेश में रहने के लिए धारा 4 के अधीन कर का संदाय नहीं किया जाता है।

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन दी गई राष्ट्रीय अनुज्ञा के अधीन जब तक कि उसके संबंध में धारा 4 के अधीन कर का संदाय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित रीति से नहीं किया जाता है।

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 88 की उप–धारा (9) सपठित मोटर वाहन (पर्यटक परिवहन संचालकों के लिए अखिल भारत परमिट) नियम, 1993 के तहत उत्तर प्रदेश के बाहर अधिकार क्षेत्र वाले प्राधिकरण द्वारा दिये गये परमिट के तहत, जब तक कि धारा 4 के तहत कर का भुगतान नहीं किया जाता है।

बशर्ते कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उक्त अनुसूचियों में यथा निर्दिष्ट, कर या अतिरिक्त कर की दरों में,जैसा भी मामला हो,पचास प्रतिशत से अनधिक वृद्धि कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन कर के उद्ग्रहण और संदाय के प्रयोजन के लिए, किसी दो सप्ताह या उसके भाग के लिए संदेय कर पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर का 2/13 वां होगा।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(3) यदि ऐसा परिवहन वाहन इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या अतिरिक्त कर के संदाय के बिना उत्तर प्रदेश में चलता पाया जाता है, तो ऐसे कर या अतिरिक्त कर के साथ शास्ति, जो देय राशि के पांच गुना के बराबर होगी, देया होगा।

बशर्ते कि इस धारा के तहत कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी परमिट के आधार पर दिल्ली से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के भीतर विशेष रूप से चल रहे मोटर कैब के संबंध में देय नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि इस धारा के तहत कर ऐसे मोटर कैब (सीएनजी संचालित) के संबंध में देय नहीं होगा, जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों के साथ किए गए समझौते के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में चलती हों।

12. वाहन का उपयोग न किया जाना और कर की वापसी–(1) जब कोई भी व्यक्ति जिसने परिवहन वाहन के संबंध में कर का भुगतान किया है, तो विहित तरीके से कराधान अधिकारी की संतुष्टि हेतु यह साबित करता है कि वह मोटर वाहन जिसके संबंध में इस तरह के कर का भुगतान किया गया है, का उपयोग एक माह या अधिक की निरंतर अवधि के लिए नहीं किया गया है, वह त्रैमासिक कर की दर के एक तिहाई या वार्षिक कर के बारहवें हिस्से, जैसा कि मामला हो, के बराबर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

राशि की वापसी का ऐसे वाहन के संबंध में प्रत्येक तीस दिनों की अवधि के लिए देय कर जिसका भुगतान किया गया है, हकदार होगा:

बशर्ते कि ऐसा कोई रिफंड तब तक स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने पंजीकरण का प्रमाण पत्र, टोकन, यदि कोई हो, जो वाहन और परमिट के संबंध में जारी किया हो, यदि कोई हो, कराधान अधिकारी को, उस अवधि से पहले, जिसके लिए ऐसा रिफंड का दावा किया, वापस जमा नही करता।

बशर्ते यह कि जहां धारा 4 की उप–धारा (आईए) के तहत एक मोटर वाहन के लिए एक बार कर का भुगतान किया गया है ऐसे वाहन के संबंध में प्रत्येक महीने के लिए 1/120 के बराबर राशि वापस की जाएगी।

(2) जहां ऑपरेटर या मोटर वाहन का मालिक,जैसा भी मामला हो, एक महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अपने वाहन का उपयोग न करने का इरादा रखता है, वह कर या अतिरिक्त कर की तारीख से पहले, जैसा भी मामला हो, पंजीकरण का प्रमाण पत्र, टोकन, यदि कोई हो, जो मोटर वाहन और परमिट के संबंध में जारी किया गया हो, उस क्षेत्र के कराधान अधिकारी के पास, जहां कर या अतिरिक्त कर का अंतिम भुगतान किया गया था, वापस जमा करेगा और इस तरह के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जमा करने पर, इस अधिनियम के तहत कोई कर या अतिरिक्त कर ऐसे वाहन के संबंध में उस अवधि के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर महीने के लिए देय नहीं होगा जिसके दौरान वाहन उपयोग से वापस ले लिया गया है और पूर्वोक्त दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास रखे हुए हैंः

बशर्ते कि इस तरह के वाहन यदि उस अवधि के दौरान चलते पाए जाते हैं जब इस उप–धारा में उल्लिखित दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास जमा कर दिये गये हों, ऐसे मालिक या ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, उसी प्रकार कर और अतिरिक्त कर के लिए उत्तरदायी होंगे जैसे कि दस्तावेजों को जमा न किया गया हो और कर और अतिरिक्त कर के पांच गुना के बराबर दंड के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

(3) जहां किसी मोटर वाहन का मालिक, जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत एक बार कर का भुगतान किया गया है, कराधान अधिकारी की संतुष्टि के लिए साबित करता है कि ऐसे मोटर वाहन का उपयोग एक महीने या उससे अधिक की निरंतर अवधि के लिए नहीं किया गया है, वह उक्त अवधि के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकने वाले कर की वापसी का हकदार होगाः

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बशर्ते कि ऐसा कोई भी रिफंड तब तक स्वीकार्य नहीं होगा, जब तक कि वाहन के संबंध में जारी किए गए पंजीकरण का प्रमाण पत्र और टोकन, यदि कोई हो, मालिक द्वारा कराधान अधिकारी के पास जमा नहीं कर दिया जाता :

बशर्ते यह कि इस उपधारा के तहत धन वापसी की कुल राशि इस अधिनियम के तहत भुगतान किए गए एक बार के कर से अधिक नहीं होगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन रिफंड की रकम की संगणना करने में अवधि के किसी भाग को एक मास से कम होने पर अनदेखा किया जाएगा।

(5) परिवहन वाहन से भिन्न किसी मोटर वाहन का स्वामी, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन एक बार कर का संदाय किया गया है, इस आधार पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे कर के प्रतिदाय का हकदार होगा कि उसने ऐसे कर के संदाय के पश्चात्, ऐसे वाहन के संबंध में किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में मोटर वाहनों पर कर से संबंधित किसी अधिनियमन के अधीन कर का संदाय किया है जो ऐसे वाहन को स्थायी रूप से ऐसे अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में लाए जाने के परिणामस्वरूप या यह कि ऐसे मोटर वाहन को परिवहन वाहन में संपरिवर्तित कर दिये जाने के कारण किया गया था या ऐसे मोटर वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(6) जहां कोई भी व्यक्ति जिसने पुराने मोटर वाहन के संबंध में एक बार कर के अलावा कर का भुगतान किया है, कराधान अधिकारी के समक्ष साबित करता है कि मोटर वाहन, जिसके संबंध में इस तरह के कर का भुगतान किया गया है, का उपयोग एक महीने या उससे अधिक की निरंतर अवधि के लिए नहीं किया गया है जब से कर या किस्त का अंतिम भुगतान किया गया था, वह ऐसी अवधि के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर महीने के लिए जिसके लिए ऐसा कर का भुगतान किया गया है ऐसे वाहन के संबंध में देय वार्षिक कर की दर के बारहवें के बराबर राशि की वापसी का हकदार होगा।

बशर्ते कि ऐसा कोई रिफंड तब तक स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने पंजीकरण का प्रमाण पत्र और टोकन, यदि कोई हो, वाहन के संबंध में, कराधान अधिकारी को जमा न कर दिया हो, जिस अवधि के लिए इस तरह के रिफंड का दावा किया जाता है।

(7) उपधारा (1) के अधीन कर के किसी प्रतिदाय का हकदार परिवहन वाहन का प्रचालक धारा 6 के अधीन संदत्त अतिरिक्त कर के ऐसे भाग के प्रतिदाय का भी हकदार होगा, जो उस अवधि के लिए दिया गया है जिसके लिए वह उपधारा (1) के अधीन प्रतिदाय का हकदार है

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और ऐसे प्रतिदाय की रकम की गणना उसी सिद्धांत पर की जाएगी जो उक्त उपधारा में अधिकथित है।

(8) जहां ऑपरेटर या मोटर वाहन का मालिक,जैसा भी मामला हो, उक्त वाहन की दुर्घटना के कारण अपने मोटर वाहन का उपयोग करने में असमर्थ है और उक्त वाहन के संबंध में जारी किया गया पंजीकरण का प्रमाण पत्र, टोकन, यदि कोई हो, उक्त वाहन और परमिट, यदि कोई हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति के साथ इस तरह की दुर्घटना की तारीख से एक सप्ताह के भीतर कराधान अधिकारी के पास जमा कर देता है तो जमा करने की तारीख दुर्घटना की तारीख पर माना जाएगा।

20. **कर की वसूली–**(1) इस अधिनियम के तहत देय किसी कर या अतिरिक्त कर या जुर्माने की बकाया राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, अतिरिक्त कर और शास्ति सर्वप्रथम मोटर वाहन पर, जिसके संबंध में वह देय है, प्रभारित की जाएगी।

(3) कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और अतिरिक्त कर और जुर्माने के बकाया के लिए, जैसा भी मामला हो, मालिक या ऑपरेटर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

से निर्धारित प्रपत्र में मांग करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर, अतिरिक्त कर या जुर्माना, यदि कोई हो, का बकाया भी शामिल होगा। "

8. 1 मोटर वाहन अधिनियम की धारा धारा 2 (30) "स्वामी" शब्द को परिभाषित करती है, जो निम्नानुसार हैः

(30) "स्वामी" शब्द से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम पर मोटर वाहन पंजीकृत है और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क है, ऐसे अवयस्क का संरक्षक है और ऐसे मोटर वाहन के संबंध में जो भाड़ा, खरीद, करार या लीज के लिए करार या वचनबद्ध करार का विषय है, उस करार के तहत वाहन पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति।"

8. 2 मोटर वाहन अधिनियम की धारा 51 भाड़ा–खरीद, समझौता आदि के अन्तर्गत आने वाले मोटर वाहन के संबंध में विशेष उपबंध करती है। धारा 51 (1) से धारा 51 (5) इस प्रकार हैः

"51. किराया–खरीद समझौते आदि के अधीन मोटर वाहन के संबंध में विशेष प्रावधान–(1) जहां किसी ऐसे मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाता है जो किराया–खरीद, पट्टा या वचनबद्ध समझौते (एतश्मिनपश्चात् उक्त समझौता के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत आता हो, पंजीकरण प्राधिकारी उक्त समझौते के अस्तित्व के संबंध में पंजीकरण के प्रमाण पत्र में एक प्रविष्टि करेगा।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(2) जहां इस अध्याय के तहत पंजीकृत किसी मोटर वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है और अंतरिती किसी भी व्यक्ति के साथ उक्त समझौता करता है, अंतिम पंजीकरण प्राधिकारी, इस तरह के रूप में एक आवेदन प्राप्त होने पर, जैसा कि केंद्र सरकार पक्षकारों के लिए विहित करे, पंजीकरण 2 के प्रमाण पत्र में उक्त समझौते के अस्तित्व के विषय में प्रविष्टि करे और इस संबंध में एक सूचना मूल पंजीकरण प्राधिकारी को भेजी जाएगी यदि अंतिम पंजीकरण प्राधिकारी मूल पंजीकरण प्राधिकारी नहीं है।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन की गई कोई प्रविष्टि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस हेतु विहित प्रारूप में आवेदन प्राप्त होने और संबंधित पक्षकारों द्वारा उक्त करार की समाप्ति के सबूत प्रस्तुत करने पर रद्द की जा सकेगी और इस बाबत सूचना मूल पंजीकरण प्राधिकारी को भेजी जाएगी यदि अंतिम पंजीकरण प्राधिकारी मूल पंजीकरण प्राधिकारी नहीं है।

(4) उक्त समझौते के तहत आने वाले किसी भी मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के बारे में कोई प्रविष्टि पंजीकरण के प्रमाण पत्र में नहीं की जाएगी सिवाय उस व्यक्ति की लिखित सहमति के जिसका नाम पंजीकरण प्रमाण पत्र में उस व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिसके साथ पंजीकृत मालिक ने उक्त समझौता किया है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(5) जहां वह व्यक्ति जिसका नाम पंजीकरण के प्रमाण पत्र में उस व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिसके साथ पंजीकृत मालिक ने उक्त समझौता किया है, पंजीकरण प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट करता है कि उसने उक्त समझौते के प्रावधानों के तहत पंजीकृत मालिक के डिफ़ॉल्ट के कारण पंजीकृत मालिक से वाहन पर कब्जा कर लिया है और पंजीकृत मालिक पंजीकरण का प्रमाण पत्र देने से इनकार कर देता है या फरार हो गया है, तो ऐसा प्राधिकारी, पंजीकृत मालिक को ऐसा अभ्यावेदन करने का अवसर देने के बाद, जो वह करना चाहता है (पंजीकरण के प्रमाण पत्र में दर्ज अपने पते पर देय पंजीकृत डाक पावती द्वारा उसे एक नोटिस भेजकर) और इस बात के बावजूद कि पंजीकरण का प्रमाण पत्र उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्रमाण पत्र को रद्द करेगा और उस व्यक्ति के नाम पर पंजीकरण का एक नया प्रमाण पत्र जारी करें जिसके साथ पंजीकृत मालिक ने उक्त समझौता किया था :

बशर्ते कि मोटर वाहन के संबंध में पंजीकरण का एक नया प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करता है:

बशर्ते यह भी कि परिवहन वाहन के अलावा मोटर वाहन के संबंध में जारी पंजीकरण का नया प्रमाण पत्र केवल शेष अवधि के लिए मान्य होगा, जिस अवधि तक इस उप–धारा के तहत रद्द प्रमाण पत्र प्रवर्तन में रहता।"

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

8. 3 अधिनियम, 1997 की धारा 2 (एच) सपठित, अधिनियम, 1988 की धारा 2 (30) के अनुसार यहां तक कि किराया–खरीद समझौता या बिक्री या वचनबद्ध समझौते के तहत वाहन पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भी "मालिक" कहा जा सकता है। इसलिए, अपीलकर्ता की तरह फाइनेंसर, जिसके कब्जे में प्रश्नगत परिवहन वाहन ऋण का भुगतान न होने के कारण है, अधिनियम, 1997 और अधिनियम, 1988 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक 'मालिक' है।

8. 4 अधिनियम, 1997 की धारा 4 मूलभूत धारा है। धारा 4 के अनुसार, परिवहन वाहन के अलावा किसी भी मोटर वाहन का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे मोटर वाहन के संबंध में लागू दर पर उसके संबंध में एकमुश्त कर का भुगतान न किया गया हो। धारा 4 (2–ए) में यह प्रावधान है कि उप–धारा (1–ए) और उप–धारा (2) में निर्दिष्ट के अलावा , कोई भी सार्वजनिक सेवा वाहन (परिवहन वाहन) उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर मासिक कर का भुगतान न किया गया हो। आगे यह उपबंध किया गया है कि मासिक कर के बजाय धारा 4 (2–ए) के तहत किसी मोटर वाहन के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकने वाली दर पर तिमाही या वार्षिक कर देय हो सकता है। धारा 9 में कर और जुर्माना के भुगतान का प्रावधान है। धारा 9 (1) (iv) (क) के अनुसार धारा 4 की उपधारा (2– ए) के अधीन संदेय

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहन के पंजीकरण के समय और उसके बाद अगले कैलेंडर महीने के पंद्रहवें दिन या उससे पहले एक कैलेंडर महीने के लिए अग्रिम रूप से देय होगा। धारा 12 में वाहन का उपयोग न करने और कर की वापसी का प्रावधान है। धारा 12 (1) के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति जिसने परिवहन वाहन के संबंध में कर का भुगतान किया है, निर्धारित तरीके से कराधान अधिकारी की संतुष्टि हेतु साबित करता है कि वह मोटर वाहन जिसके संबंध में कर का भुगतान किया गया है, कर का अंतिम भुगतान किए जाने के बाद से एक महीने या उससे अधिक की निरंतर अवधि तक प्रयोग नहीं किया गया है, वह त्रैमासिक कर की दर के एक तिहाई या वार्षिक कर के बारहवें के बराबर राशि की वापसी का हकदार होगा, जैसा कि मामला हो सकता है ऐसी अवधि के प्रत्येक तीस दिनों के लिए ऐसे वाहन के संबंध में देय जिसके लिए इस तरह के कर का भुगतान किया गया है। हालाँकि, धारा 12 (2) यह उपबंध करती है कि जहां ऑपरेटर या, जैसा भी मामला हो, मोटर वाहन का मालिक, एक महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए अपने वाहन का उपयोग करने का इरादा नहीं रखता है, वह कर या अतिरिक्त कर, जैसा भी मामला हो, मोटर वाहन और परमिट के संबंध में जारी किया गया पंजीकरण का प्रमाण पत्र, टोकन, यदि कोई हो,उस क्षेत्र के कराधान अधिकारी के पास जमा करेगा, जहां कर या अतिरिक्त कर अंतिम भुगतान किया गया था और इस तरह जमा करने पर,अधिनियम, 1997 के तहत कोई कर या अतिरिक्त कर उस अवधि के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर महीने के लिए ऐसे वाहन के संबंध में देय नहीं होगा, जिसके दौरान वाहन उपयोग से वापस ले लिया गया और पूर्वोक्त

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास जमा था। धारा 12 की उप–धारा (2) के परंतुक के अनुसार, यदि ऐसा वाहन उस अवधि के दौरान चलता पाया जाता है, जब धारा 12 की उप–धारा (2) में उल्लिखित उसके दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास जमा थे, ऐसा मालिक या ऑपरेटर, जैसा कि मामला हो, कर और अतिरिक्त कर के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे कि दस्तावेजों को जमा न किया गया हो और कर और अतिरिक्त कर के पांच गुना के बराबर शास्ति के लिए भी उत्तरदायी होगा।

9. पूर्वोक्त प्रावधानों के संयुक्त पठन पर, यह देखा जा सकता है कि परिवहन वाहन के संबंध में, कर का भुगतान मासिक कर या वार्षिक कर के रूप में अग्रिम रूप से किया जाना होता है, जैसा भी मामला हो, और उसके बाद ही ऐसे वाहन का उपयोग किया जाएगा।

इसलिए, किसी भी परिवहन वाहन के उपयोग से पहले, मालिक अग्रिम में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है और उसके बाद ही वाहन का उपयोग या संचालन किया जा सकता है। धारा 4 (2–ए) के शब्द बहुत स्पष्ट हैं कि किसी भी सार्वजनिक सेवा वाहन का उपयोग किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर मासिक कर का भुगतान नहीं किया जाता है। धारा 9 (1) (iv) (ए) के अनुसार, धारा 4 की उप–धारा (2–ए) के तहत देय कर अगले महीने के पंद्रहवें दिन या उससे पहले अग्रिम रूप से देय होगा। इसलिए, कानून के तहत

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आवश्यकता पहले धारा 9 के उपबंधित गए कर का भुगतान करना है और उसके बाद वाहन का उपयोग करना है। दूसरे शब्दों में, यह 'कर का भुगतान कर उपयोग करने का सिद्धांत है न कि उपयोग करने के उपरांत कर का भुगतान का। इसलिए, अपीलकर्ता–फाइनेंसर की ओर से दिया गया तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कर का भुगतान उपयोग के समय या उसके पश्चात किया जाना होता है। यदि इस तरह के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो उस स्थिति में, धारा 9 (1) (iv) (ए), जो अग्रिम में भुगतान किए जाने वाले कर का उपबंध करती है निरर्थक और/या नगण्य हो जाएगी।

9. 1 तथापि, ऐसे मामले में जहां धारा 4 (2–ए) सपठित धारा 9 के अनुसार कर का संदाय किया जाता है और वाहन का उपयोग नहीं किया जाता है ऑपरेटर और/या मालिक, जैसा भी मामला हो, धारा 12 के अनुसार धनवापसी के लिए आवेदन और दावा कर सकता है और धारा 12 के तहत प्रदान की गई सभी अर्हताओं को पूरा करके रिफंड प्राप्त कर सकता है। रिफंड का सवाल केवल तभी आएगा जब कर का भुगतान पहले कर दिया गया हो और उसके बाद गैर–उपयोग के कारण, भुगतान किया गया कर वापस किया जाना है, जोकि निश्चित रूप से अधिनियम, 1997 की धारा 12 के तहत प्रदान किए गए रिफंड का दावा करने की अर्हताओं को पूरा करने के अधीन है।

10. पूर्वोक्त परिचर्चा का निष्कर्ष यह होगा कि मालिक या ऑपरेटर को पहले अग्रिम में कर का भुगतान करना होगा और उसके बाद यदि कर का अंतिम भुगतान किए जाने के बाद से परिवहन वाहन का उपयोग एक महीने या उससे

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अधिक की निरंतर अवधि के लिए नहीं किया जाता है, तो उसे धनवापसी के लिए आवेदन करना पड़ेगा, जिसे धारा 12 के पूर्वोक्त प्रावधान के अनुसार आवश्यक अर्हताओं को पूरा करने के पश्चात वापस किया जाएगा और यह कराधान अधिकारी की संतुष्टि के अधीन होगा कि परिवहन वाहन का उपयोग अंतिम भुगतान के बाद से एक महीने या उससे अधिक की निरंतर अवधि के लिए नहीं किया गया है।

10. 1 केवल एक स्थिति ऐसी है जहां अधिनियम, 1997 के अधीन कोई कर या अग्रिम कर संदेय नहीं होगा अर्थात् धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन, जहां प्रचालक या, यथास्थिति, मोटर वाहन का स्वामी अपने वाहन का एक मास या अधिक की अवधि के लिए उपयोग करने का आशय नहीं रखता है, वह, यथास्थिति, कर या अतिरिक्त कर की तारीख से पूर्व, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, टोकन, यदि कोई हो, मोटर वाहन के संबंध में जारी गया परमिट, यदि कोई हो,उस क्षेत्र के कराधान अधिकारी के पास जमा करेगा जहां कर या अतिरिक्त कर का अंतिम भुगतान किया गया था और केवल इस प्रकार जमा करने पर ही, अधिनियम, 1997 के तहत कोई कर या अतिरिक्त कर उस अवधि के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर महीने के लिए ऐसे वाहन के संबंध में देय नहीं होगा जिसके दौरान वाहन उपयोग से वापस ले लिया जाता है और पूर्वोक्त दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास जमा हों।

11. याचिकाकर्ता की ओर से दिया गया तर्क यह है कि कई बार, धारा 12 की उप–धारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेज फाइनेंसर /मालिक के पास नहीं होते हैं

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और वे पंजीकृत मालिक के पास रहते हैं और इसलिए ऐसा फाइनेंसर/मालिक धारा 12 की उप–धारा (1) के तहत धनवापसी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है या धारा 12 की उप–धारा (2) के अनुसार कर के भुगतान से छूट का संबंध है, उपरोक्त आधार पर, कर का भुगतान करने का मालिक/फाइनेंसर का दायित्व समाप्त नहीं होगा। यह फाइनेंसर का दायित्व है कि वह वाहन की जब्ती के समय पंजीकृत मालिक से मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट, टोकन आदि जैसे दस्तावेज प्राप्त करे। किसी भी कारण से , फाइनेंसर/मालिक दस्तावेजों को पाने में सक्षम नहीं है, तो उसे अधिनियम, 1988 की धारा 51 के तहत प्रदान किए गए पंजीकरण के नए प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसलिए, धारा 12 की उप–धारा (1) के तहत धनवापसी की मांग करने से पहले या इससे पहले कि उसे धारा 12 की उप–धारा (2) के तहत कर के भुगतान से छूट दी जाए, ऐसे ऑपरेटर/मालिक को सभी शर्तों का पालन करना होगा और उन्हें पूरा करना होगा, जिसका उल्लेख किया गया है।

11. 1 गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा **अब्दुल समद अब्दुल हमीद शेख (उपरोक्त)** के मामले में ऐसे ही प्रश्न पर विचार किया गया जिसमें पैराग्राफ 5.3 और 5.4 में, निम्नानुसार धारित किया गया :–

> **"5.3**..... यदि वाहन को फाइनेंसर द्वारा कब्जे में लिया जाता है तो उस स्थिति में ऐसे फाइनेंसर के लिए उपलब्ध उपाय ऐसे वाहन के उपयोग न करने के संबंध में समुचित प्राधिकारी के समक्ष एक उपयुक्त

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आवेदन प्रस्तुत करना होगा और ऐसे गैर उपयोग की अवधि के लिए कर का भुगतान करने का दायित्व नहीं होगा। अन्यथा, कर का भुगतान करने का दायित्व जारी रहेगा।

5. 4 अधिनियम, 1958 की धारा 4 (1) में यह उपबंध है कि कर का संदाय प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्वामी या ऐसे मोटर वाहनों के कब्जे या नियंत्रण वाले किसी व्यक्ति द्वारा अग्रिम रूप से किया जाना अपेक्षित है। अधिनियम, 1958 की धारा 8 में यह प्रावधान है कि यदि किसी मोटर वाहन के संबंध में देय कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति अवैतनिक रहता है, और कर का भुगतान करने से पहले ऐसे व्यक्ति ने ऐसे वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया है या बंद कर दिया है तो ऐसे वाहन पर कब्जा या नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति जिसे वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित किया गया है या वह व्यक्ति जिसके पास ऐसे वाहन का कब्जा या नियंत्रण है, वह भी कराधान प्राधिकरण को उक्त कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। "....

12. उपरोक्त चर्चा और उपरोक्त कारणों के मद्देनजर , यह माना जाता है कि मोटर वाहन/परिवहन वाहन का फाइनेंसर, जिसके संबंध में एक किराया–खरीद या पट्टा या वचनबद्ध समझौता किया गया है, उक्त समझौते के तहत उक्त वाहन को कब्जे में लेने की तारीख से कर के लिए उत्तरदायी है। यदि, कर के भुगतान के बाद, वाहन का उपयोग एक महीने या उससे अधिक समय के लिए नहीं किया जाता है, तो ऐसा मालिक अधिनियम, 1997 की धारा 12 के तहत धनवापसी के लिए आवेदन कर सकता है और धनवापसी का दावा करने के लिए धारा 12 की सभी अर्हताओं का पालन करना होगा, और धारा 12 (1) में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करने और/या अनुपालन करने पर, वह धारा 12

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

की उप–धारा (1) में प्रदान की गई सीमा तक धनवापसी प्राप्त कर सकता है, जैसा कि धारा 12 (1) के तहत भी है, कि मालिक/ऑपरेटर पूर्ण धनवापसी का हकदार नहीं होगा, लेकिन त्रैमासिक कर की दर के एक तिहाई या वार्षिक कर के बारहवें के बराबर राशि की वापसी का हकदार होगा, जैसा भी मामला हो, ऐसी अवधि के प्रत्येक तीस दिनों के लिए ऐसे वाहन के संबंध में देय जिसके लिए ऐसा कर का भुगतान किया गया है। हालाँकि, केवल एक मामले में, जो धारा 12 की उप–धारा (2) के अंतर्गत आता है और धारा 12 की उप–धारा (2) में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने पर कर का भुगतान करने का दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, अन्यथा ऐसे मालिक/ऑपरेटर द्वारा कर का भुगतान करने का दायित्व जारी रहेगी।

इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश में इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अपील तदनुसार खारिज की जाती है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में, लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

.....

[न्यायमूर्ति एमआर शाह]

.....

[न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न]

नई दिल्ली

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

22 फरवरी 2022

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।